न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 98/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

Shriram Housing Finance Limited, Plot No. 245 & 246, 2nd Floor, Omkarm Tower, Hanuman Nagar-D, Amarpali Marg, Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan-302021

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **Shankar Lal S/O Shyam Sain**
   Address:- Village Khuri Chhoti, Khuri Badi, Laxmangarh, Mataji Mandir Ke Pass, Sikar, Rajasthan-332315
2. **Pooja Sharma W/O Ravi Prakash**
   Address:- Village-Khuri Chhoti, Khuri Badi, Laxmangarh, Mataji Mandir Ke Pass, Sikar, Rajasthan-332315

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ★ सीकर (राज.)

निर्णय

दिनांकः– 23 दिसंबर, 2024

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री मयंक कुमार** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः Shankar Lal S/O Shyam Sain एवं Pooja Sharma W/O Ravi Prakash की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की आवासीय बंधक सम्पति **पट्टा संख्या 91, ग्राम खूड़ी छोटी, ग्राम पंचायत खूड़ी बडी, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है। जिसका **कुल**

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

क्षेत्रफल 235.11 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में चन्द्रपाल सिंह की गुवाड़ी, पश्चिम दिशा में छगन सिंह की गुवाड़ी, उत्तर दिशा में गिरधारी सिंह की कृषि भूमि एवं दक्षिण दिशा में आम रास्ता स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **रूपये 11,13,364/– (अक्षरे रूपये ग्यारह लाख तेरह हजार तीन सौ चौसठ)** एवं **रूपये 6,12,594/– (अक्षरे रूपये छः लाख बारह हजार पांच सौ चौरानवें) कुल रूपये 17,25,958/– (अक्षरे रूपये सत्रह लाख पच्चीस हजार नौ सौ अठावन)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **09.07.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **09.07.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः Shankar Lal S/O Shyam Sain एवं Pooja Sharma W/O Ravi Prakash की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की आवासीय बंधक सम्पति **पट्टा संख्या 91, ग्राम खूड़ी छोटी, ग्राम पंचायत खूड़ी बडी, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 235.11 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में चन्द्रपाल सिंह की गुवाड़ी, पश्चिम दिशा में छगन सिंह की गुवाड़ी, उत्तर दिशा में गिरधारी सिंह की कृषि भूमि एवं दक्षिण दिशा में आम रास्ता स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक / वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **23 दिसंबर, 2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर